

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

उदयदीप पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट उम्र 19 वर्ष निवासी चक 14 एफ बड़ा फस्ट,
मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ब न म

...वादी

1. उग्रसैन पुत्र श्री जगदीश
 2. श्रीमती अंजू बाला पत्नी श्री उग्रसैन
 3. नकुल चौधरी पुत्र श्री उग्रसैन
 4. योगिता चौधरी पुत्री उग्रसैन
 5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)
- जाति जाट निवासीयान चक 14 एफ बड़ा फस्ट,
मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— प्रतिवादीगण




वाद पत्र संख्या 90/2025

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी, श्री शुभम पारीक प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं पैरोकार राज प्रतिवादी-5 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 नकुल चौधरी पुत्र उग्रसैन के नाम दर्ज चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 27/22 के मुरब्बा नम्बर 9, 17, 18 की कुल 4.431 है. [4.351 है. नहरी + 0.080 है. खाला] कृषि भूमि में से वादी उदयदीप पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी चक 14 एफ बड़ा फस्ट, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/3 हिस्सा यानि 1.477 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसैन पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चक 14 एफ बड़ा फस्ट, मिर्जेवाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/3 हिस्सा यानि 1.477 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 3 नकुल चौधरी पुत्र उग्रसैन जाति जाट निवासी चक 14 एफ बड़ा फस्ट, मिर्जेवाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/3 हिस्सा यानि 1.477 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे।


धिकारी (राजस्व)
गंगानगर

अनवान उदयदीप बनाम उग्रसेन व अन्य
वाद मुकदमा नं. 90/2025

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अभिलेखित करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपसे ...शून्य ...वास्तो...शून्य. ...खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..
...दर वार्षिक ..शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

यह डिक्री आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00